



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245624
CG-DL-E-03052023-245624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1939]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

No. 1939]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2027(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2919 (अ), दिनांक 28 जून 2022 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तथा राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 752 डी के पूरे एनएच (मध्य प्रदेश राज्य में 272.32 किमी तथा राजस्थान राज्य में 8.30 किमी) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 752डी के स्पर I के चैनेज 0.000 से चैनेज 3.148 तक और स्पर-II चैनेज 0.000 से चैनेज 6.3000 (एनएच-148 एनजी का देवास-उज्जैन खंड चैनेज 0.000 से चैनेज 19.733 तक और एनएच-148 एनजी का उज्जैन बाईपास 19.733 से चैनेज 26.900 तक और एनएच-148 एनजी का देवास बायपास चैनेज 0.000 से चैनेज 14.520 तक) सहित चैनेज 0.000 से चैनेज 31.972 तक चार और अधिक लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 13.433 कि.मी. और 1.830 किमी(जिनकी लंबाई 0.183 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ(2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% पर तथा बाइपासों जिनकी लम्बाई 21.504 किमी है और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है, के उपयोग हेतु नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना पर से एतद्वारा शुल्क

की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृष्ट एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. मे) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पालखंडा गांव के पास एनएच -752डी (एनएच - 148एनजी का चैनेज 7.200) के डिजाइन किमी 15.420 पर	13.433 किमी (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास की लम्बाई छोड़कर)	चार और अधिक लेन के लिए सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी -3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	पर शुरू होकर	पर मिलते हुए	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. मे)	लागत (करोड़ रु मे)	
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पालखंडा गांव के पास एनएच - 752डी (एनएच -148एनजी का चैनेज 7.200) के	देवास बाइपास एनएच-752डी	चैनेज किमी. एनएच-752D का 0.000 (एनएच-148एनजी का चैनेज	चैनेज किमी. एनएच-752D का 14.520 (एनएच-148 एनजी का चैनेज 14.520)	14.437	224.78	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 150%

डिजाइन किमी 15.420 पर		0.000)				
	उज्जैन बाईपास एनएच-752डी	एनएच- 752डी का चैनेज किमी 27.953 और एनएच- 752डी का चैनेज 0.000 (स्पर-1) (एनएच- 148एनजी का चैनेज 19.733)	एनएच-752डी का चैनेज किमी 31.972 और एनएच - 752डी का चैनेज 3.148 (स्पर-1) (एनएच- 148एनजी का चैनेज 26.900)	7.067	123.16	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्द और संदेय होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पालखंडा गांव के पास एनएच - 752D (एनएच -148एनजी का चैनेज 7.200) के डिजाइन किमी 15.420 पर	0.183 ^A	1.830	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100%

विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	चैनेज	संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	एनएच-752डी का चैनेज किमी 1.793 (स्पर-1) (एनएच -148 एनजी का चैनेज 25.545)	बड़ा पुल	0.100
2	एनएच-752डी का चैनेज किमी 14.142 (एनएच -148 एनजी का चैनेज 0.378)	फ्लाईओवर	0.0375
3	एनएच-752डी का चैनेज किमी 0.400	फ्लाईओवर	0.0455

(एनएच -148 एनजी का चैनेज 14.120)		
कुल		0.183

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियम 10 के उप नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 842.52 करोड़ रूपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी]। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/22-23/फीनोटिफिकेशन/देवास -उज्जैन, उज्जैन बाईपास और देवास बाईपास सेक्शन (लंबाई=41.42 किमी)/ई-219109]
सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2027(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2919 (E) dated the 28th June 2022 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted entire NH (272.32 km in the state of Madhya Pradesh and 8.30 km in the state of Rajasthan) of New National Highway No 752D in the states of Madhya Pradesh and Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 13.433 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.830 km (having length of 0.183 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 21.504 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four and more lane from Ch. 0.000 to Ch 31.972 with spur I from Ch 0.000 to Ch. 3.148 and Spur-II from Ch. 0.000 to Ch. 6.3000 (Dewas-Ujjain Section from Ch 0.000 to Ch 19.733 of NH-148 NG and Ujjain Bypass from Ch. 19.733 to Ch. 26.900 of NH-148 NG and Dewas Bypass from Ch. 0.000 to Ch. 14.520 of NH-148 NG) of National Highway number 752D in the State of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (In Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km. 15.420 of NH-752D (Ch. 7.200 of NH-148NG) near Palkhanda Village of Ujjain district of Madhya Pradesh	13.433 [Excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km. 15.420 of NH-752D (Ch 7.200 of NH-148NG) near Palkhanda Village of Ujjain district	Dewas Bypass of NH-752D	Ch. Km. 0.000 of NH-752D (Ch. 0.000 of NH-148NG)	Ch Km. 14.520 of NH-752D (Ch. 14.520 of NH-148NG)	14.437	224.78	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Ujjain Bypass of NH-752D	Ch. Km. 27.953 of NH-752D &	Ch. Km. 31.972 of NH-752D &	7.067	123.16	150% for four and more lane of

Madhya Pradesh		Ch. 0.000 of NH-752D (Spur-I) (Ch.19.733 of NH-148NG)	Ch. 3.148 of NH-752D (Spur-I) (Ch. 26.900 of NH-148NG)			the base rates mentioned in Table-1 above
----------------	--	---	--	--	--	---

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures^ (in Km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km.)	Rate at which fee is payable
At Design Km. 15.420 of NH-752D (Ch. 7.200 of NH-148NG) near Palkhanda Village of Ujjain district of Madhya Pradesh	0.183^	1.830	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details is as under:

S.No.	Chainage	Type of Structure	Length (In Km.)
1	Ch. Km. 1.793 of NH-752D (Spur-1) (Ch. 25.545 of NH-148 NG)	Major Bridge	0.100
2	Ch. Km. 14.142 of NH-752D (Ch. 0.378 of NH-148 NG)	Flyover	0.0375
3	Ch. Km. 0.400 of NH-752D (Ch. 14.120 of NH-148 NG)	Flyover	0.0455
Total			0.183

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315.000 (Three Hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 842.52 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/22-23/Fee Notification/Dewas-Ujjain, Ujjain Bypass & Dewas Bypass Section
(Length=41.42 km) /E-219109]
SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.